संख्या-12/2017/221/55-पर्या-2-2017-221(पर्या)/16-टी0सी0

प्रेषक,

श्री हेरम्ब मिश्र
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उ0प्र0 (संलग्नक सूची के अनुसार)।

पर्यावरण अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 07 जून, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन-जागरूकता कार्यक्रमों हेतु जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण निदेशालय के पत्र संख्या-77/पर्या/जिला-योजना/2017-18, दिनांक 02-05-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 की व्यवस्थानुसार पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन-जागरूकता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिला योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्नक-1 के स्तम्भ-5 में अंकित विभाजन के अनुसार रू0 75-00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसमें से 05 माह के लेखानुदान की धनराशि रू0 31,34,000-00 (रू0 इकतीस लाख चौंतिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

2- चूंकि जनपदों की जिला योजनायें अभी तैयार नहीं हैं एवं विभाग के लिए रू0 75 लाख बजट प्राविधान की सीमा तक परिव्यय आवंटित है। अतः प्रश्नगत योजना में बजट में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ जारी की जा रही है कि निकट भविष्य में जिला योजना बनने पर आवंटित होने वाले परिव्यय में समायोजित किया जायेगा।

3- संलग्नक-1 में उल्लिखित 62 जनपदों में स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा योजना का क्रियान्वयन संलग्नक-1 के स्तम्भ-6 में अंकित अधिकारी के माध्यम से संलग्नक-2 में दिये गये योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृति धनराशि को जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर ही व्यय किया जायेगा। यह भी शर्त होगी कि जिला योजनाओं में अवमुक्त धनराशि की सीमा तक ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। जिलाधिकारियों द्वारा धनराशि के आहरण के पश्चात बी0एम0-16 पर आहरण की सूचना निदेशक, पर्यावरण निदेशालय को एक माह में अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित कराते हुए व्यय का विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जनपदों के संबंधित अधिकारियों द्वारा निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को भेजा जायेगा। निदेशक, पर्यावरण निदेशालय द्वारा प्राप्त विवरण संकलित रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक समस्त धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय विवरण संकलित रूप से सूचित करते हुये निदेशक, पर्यावरण निदेशालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा संबंधित को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5- उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का सदुपयोग प्रचलित वित्तीय नियमों/शासनादेशों/ मैनुअल आदि का अनुपालन करते हुए किया जायेगा तथा जहां आवश्यकता हो वहां पर शासन अथवा सक्षम अधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा।

6- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-45 के लेखाशीर्षक- "3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-03-पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरूदभवन-003-पर्यावरणीय शिक्षा / प्रशिक्षण / विस्तार-आयोजनागत-05-पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन (जिला योजना)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हेरम्ब मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-12/2017/221(1)/55-पर्या-02-2017-221(पर्या)/2016-टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 (संलग्न सूची के अनुसार)।
4- संबंधित अधिकारी, उ0प्र0(संलग्न सूची के अनुसार)।
5- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनु0-7/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0–12/2017/ 221/55–पर्या–02–17–221 (पर्या) 2016 TC दिनांक 07 जून, 2017

संलग्नक–1

क्र0 सं0	जनपद	वर्ष 2016–17 में निर्धारित परिव्यय को आधार मानते हुए वर्ष 2017–18 हेतु प्रस्तावित परिव्यय *	वर्ष 2017–18 हेतु कुल बजट व्यवस्था	वर्ष 2017–18 के लेखानुदान पाँच माह (अप्रैल से अगस्त 2017 तक) हेतु कुल प्रस्तावित धनराशि	कियान्वयन अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	आगरा	2.00	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा
2.	मैनपुरी	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी
3.	मथुरा	2.00	**2.00**	**00.83**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा
4.	फिरोजाबाद	2.00	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद
5.	अलीगढ	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़
6.	हाथरस	1.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, हाथरस
7.	एटा	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा
8.	कासगंज	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, कासगंज
9.	झाँसी	2.00	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी
10	जालौन	0.50	**0.50**	**00.21**	प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जालौन
11.	हमीरपुर	1.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, हमीरपुर
12	महोबा	1.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, महोबा
13.	चित्रकूट	1.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, चित्रकूट
14.	लखनऊ	1.50	**1.50**	**00.63**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
15.	अमेठी	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अमेठी
16.	हरदोई	2.00	**1.50**	**00.63**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई
17.	उन्नाव	2.00	**2.00**	**00.83**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव

18.	सीतापुर	2.00	**1.40**	**00. 58**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,सीतापुर
19.	लखीमपुर–खीरी	2.00	**2.00**	**00.83**	प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण खीरी वन प्रभाग, लखीमपुर खीरी
20.	बरेली	0.50	**0.50**	**00.21**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली
21.	बदायूँ	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदॉयू
22.	पीलीभीत	2.00	**2.00**	**00.83**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, पीलीभीत
23.	शाहजहॉपुर	2.00	**1.40**	**00. 58**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, शाहजहॉपुर
24.	मेरठ	2.00	**2.00**	**00.83**	उप निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ
25.	बागपत	1.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बागपत
26.	सहारनपुर	1.00	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर
27.	मुजफफरनगर	2.00	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
28.	मुरादाबाद	0.81	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद
29.	अमरोहा	1.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अमरोहा
30.	रामपुर	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर
31.	बिजनौर	1.50	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर
32.	वाराणसी	1.00	**2.00**	**00.83**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
33.	गाजीपुर	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजीपुर
34.	जौनपुर	2.00	**0.50**	**00.21**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर
35.	सोनभद्र	1.00	**0.70**	**00.29**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र
36.	गोरखपुर	2.00	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर
37.	महाराजगंज	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय वनाधिकारी, सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महाराजगंज
38.	देवरिया	3.50	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया
39	कुशीनगर	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, कुशीनगर (पडरौना)
40.	बस्ती	1.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बस्ती
41.	संतकबीर नगर	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सन्त कबीर नगर
42.	सिद्धार्थनगर	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, सिद्धार्थनगर

-3-

43.	मऊ	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मऊ
44	बलिया	2.00	**2.00**	**00.83**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया
45.	इलाहाबाद	2.00	**2.00**	**00.83**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद
46.	कौशाम्बी	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, कौशाम्बी
47	फतेहपुर	2.00	**2.00**	**00.83**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, फतेहपुर
48.	प्रतापगढ	2.00	**2.00**	**00.83**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,प्रतापगढ
49.	कानपुर नगर	2.00	**2.00**	**00.83**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर
50.	कानपुर देहात	2.40	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात
51.	फर्रूखाबाद	2.00	**2.00**	**00.83**	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, फर्रूखाबाद
52.	कन्नौज	2.00	**2.00**	**00.83**	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, फर्रूखाबाद
53.	औरैया	0.50	**0.50**	**00.21**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, औरैया
54.	इटावा	2.00	2.00	**00.83**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा
55.	फैजाबाद	1.95	**1.00**	**00.42**	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद
56.	अम्बेडकर नगर	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अम्बेडकर नगर
57.	सुल्तानपुर	2.00	**0.50**	**00.21**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, सुल्तानपुर
58.	बाराबंकी	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बाराबंकी
59.	गोण्डा	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,गोण्डा
60.	बलरामपुर	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय निदेशक सोहलवा वन्यजीव प्रभाग, बलरामपुर
61.	श्रावस्ती	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, श्रावस्ती
62.	बहराइच	2.00	**1.00**	**00.42**	प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बहराइच
	कुल योग	110.16	**75.00**	**31.34**	

* वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु जिला योजना के लिए नियोजन विभाग उ0 प्र0 शासन द्वारा अभी तक जिला योजना के अर्न्तगत परिव्यय की फांट उपलब्ध नही करायी गयी है। जनपदवार परिव्यय आंवटित न होने के कारण विगत वर्ष में उल्लेखित जनपदों हेतु ही 05 माह के लेखानुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रेषित है।

(हेरम्ब मिश्र)
संयुक्त सचिव

पर्यावरण विभाग की जिला योजना वर्ष 2017–18 के अर्न्तगत पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन–जागरूकता कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु मार्ग–निर्देश

''पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण कार्यक्रम'' मद के अर्न्तगत ''पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों'' का आयोजन कियान्वयन अधिकारियों द्वारा निम्नांकित कार्यक्रमों में से सभी अथवा स्थानीय आवष्यकताओं के अनुसार कुछ कार्यक्रमों का चयन कर कराया जाएगा :–

1– जनपद के विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों इत्यादि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का रोपणः–

जनपद के समस्त सरकारी तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी प्राथमिक/हायर सेकेंड्री/इण्टरमीडिएट विद्यालयों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों एवं विभिन्न सरकारी कार्यालयों जेसे– कलेक्ट्रेट तहसील, विकास खण्ड़ परिसर तथा इनसे सम्बद्ध सरकारी आवासीय परिसरों इत्यादि में स्थान की उपलब्धता को देखते हुए बरगद, पीपल, नीम, ऑवला एवं अशोक प्रजाति के वृक्षों के रोपण का कार्य किया जायेगा। सरकारी आवासीय परिसरों में पौधों के रोपण के समय आवासीय कालोनियों में रहने वाले बच्चों से रोपण कराए जाने का प्रयास किया जाए तथा उन्हें सम्बन्धित पौधों का अभिभावक बनाया जाए और बच्चों की नाम–पट्टिका भी पौधे के साथ लटकाई जाए, ताकि पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव के प्रति बच्चों में अभिरूचि उत्पन्न हो। रोपित किये जाने वाले पौधों का क्रय वन विभाग की नर्सरी से किया जाएगा। वन विभाग की नर्सरी में पौधो की उपलब्धता न होने की दशा में ही अन्य श्रोतों से पौधों का क्रय किया जाएगा। इसके अर्न्तगत प्रत्येक जनपद में इन वृक्षों को एक समूह में रोपित किया जायेगा। रोपण स्थल पर 4'X3' आकार की वाल राइटिंग के माध्यम से वृक्ष प्रजातियों के पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाष डाला जायेगा तथा उसमें ''पर्यावरण निदेशालय द्वारा संचालित जिला योजना 2017–18 के अर्न्तगत '' अवश्य लिखा जायेगा।

2– नदी संरक्षण हेतु विशेष अभियान का संचालनः–

प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम और जल संरक्षण हेतु विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे नदियों के संरक्षण विषयक प्रचार–प्रसार सामग्री यथा बुकलेट,पैम्फ्लेट, पोस्टर व स्टीकर इत्यादि का निर्माण कराकर स्कूली बच्चों और घाटों पर लगने वाले मेलों व अन्य अवसरों पर वितरण, यू0पी0एस0आर0 टी0सी0 की बसों पर गंगा स्वच्छता विषयक प्रचार पैनल की स्थापना, घाटों पर बैनर/होर्डिंग्स की स्थापना, स्कूली बच्चों की पोस्टर/भाषण , स्लोगन तथा नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन, सांस्कृतिक दलों के माध्यम से गंगा संरक्षण विषयक नुक्कड़ नाटकों का घाटों व अन्य स्थलों पर आयोजन, मीडिया एवं आकाशवाणी/रेडियो एफ0एम0 के माध्यम से गंगा संरक्षण विषयक संदेशों का प्रसारण तथा समाचार पत्र/पत्रिकाओं में गंगा संरक्षण से संबंधित लेखों का प्रकाशन इत्यादि कराया जाय।

–2–

प्रचार सामग्री/होर्डिंग्स/संदेशों के प्रसारण में "पर्यावरण निदेशालय द्वारा संचालित जिला योजना 2017–18 के अर्न्तगत" एवं पंडित दीनदयाल जी के पर्यावरण संरक्षण संबंधी कथन/संदेशों का भी उल्लेख किया जायेगा।

3– वाल राइटिंग :

वाल राइटिंग का आकार 5'X4' का होगा। यह कार्य टेण्डर/कोटेशन सम्बन्धी वित्तीय प्रकियाओं के अनुसार किया जाएगा, केवल पंचायत उद्योग द्वारा दी गई दरों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। वाल राइटिंग जिला/तहसील/विकास खण्ड कार्यालय, अन्य सरकारी कार्यालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि के परिसर में विभिन्न लक्षित समूहों को दृष्टिगत रखते हुए की जाएगी। वाल राइटिंग में "पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0 द्वारा संचालित जिला योजना 2017–18 के अन्तर्गत" का उल्लेख अवष्य किया जाएगा।

4– पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील या अपघटित किसी क्षेत्र का पर्यावरणीय विकास।

5– अपघटित/अविकसित पार्को का पर्यावरण की दृष्टि से सुधार/पर्यावरणीय विकास।

6– पर्यावरणीय दिवसो पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन ।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य दिवसों/अवसरों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों जैसे– सभी विकास खण्ड़ों पर प्रदर्शनी का आयोजन, हर जिलो को एक प्रदर्शनी दी जाए, जो प्रत्येक विकास खण्ड़ में तीन दिनों तक रहे, तथा सेमिनार विचार गोष्ठी आदि का आयोजन संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनी का आयोजन, प्रतियोगिता, रैली, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो एवं जनसभा का आयोजन तथा प्रचार–प्रसार सामग्री का निर्माण/वितरण इत्यादि। पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जनपदों के विद्यालयों में नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम (एन0जी0सी0) के अन्तर्गत गठित इको क्लबों के माध्यम से विभिन्न पर्यावरणीय दिवसों (जैसे 22 मई, जैव विविधता दिवस, 05 जून, विष्व पर्यावरण दिवस आदि) के अवसर पर वृहद स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाये।

7– प्रशिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन ।

इसके अर्न्तगत विभिन्न लक्षित समूहों जैसे– छात्र, युवक, शिक्षक, महिलाएं, कृषक, ग्रामीण आबादी और जन सामान्य में पर्यावरणीय जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जनसभा संगोष्ठी, कार्यशाला, कान्फ्रेंस, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पारिस्थितिकीय विकास शिविर, पदयात्रा, प्रदर्शनी और वाद विवाद/निबन्ध/चित्रकला/सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन, पर्यावरण संबंधी संसाधन सामग्री के प्रकाशन एवं वितरण तथा पर्यावरण संबंधी कार्यवाही (Action) जैसे–वृक्षारोपण, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अभियान इत्यादि हेतु शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों इत्यादि को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं

–3–

पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाओं (पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एवं न्यूनतम 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत) को धनराशि की उपलब्धता के अनुसार वित्तीय सहायता दी जा सकती है। एक पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था को अधिकतम रू0 10,000/– की धनराशि दी जा सकेगी। संस्थाओं के प्रस्तावों का चयन जिला स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाय। इस समिति में क्रियान्वयन अधिकारी के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों/विशेषज्ञों को रखा जाय। इन कार्यक्रमों के आयोजन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले पिछड़े इलाकों एवं गरीब केन्द्रित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

8– <u>स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता</u> के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे–**सरकार के स्तर पर खेलकूद प्रतियोगितायें, वृक्षारोपण,** वाद–विवाद/भाषण, चित्रकला/पोस्टर और क्विज प्रतियोगिताओं, रैली, बाल मेला एवं पर्यावरण प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन।

9– <u>विभिन्न लक्षित समूहों हेतु पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन</u> :–स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं जैसे–वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, पर्यावरणीय स्वच्छता, रसायनिक कीट नाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन इत्यादि के आलोक में जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नांकित लक्षित समूहों हेतु पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाएगा :–

(1) मुख्य चिकित्साधिकारी के मार्ग दर्शन में समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जनपद स्तरीय चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों हेतु जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन, प्लास्टिक प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला।

(2) जनपद के समस्त नगर निकायों एवं टाउन एरिया के अधिशासी अधिकारियों एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारियों तथा नगर आयुक्तों हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन पर आधारित पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला।

(3) जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों, परिवहन विभाग के अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों, उप/अपर जिलाधिकारियों एवं उप/अपर पुलिस अधीक्षकों हेतु प्लास्टिक प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वाहन प्रदूषण पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला।

(4) जिलाधिकारी द्वारा चयनित ग्राम प्रधानों हेतु कीटनाशकों एवं रसायनिक उर्वरकों के पर्यावरणीय सतत् प्रयोग पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम।

पर्यावरण सम्बन्धी उपर्युक्त नियमों/अधिनियमों का विवरण पर्यावरण निदेशालय उ0 प्र0 की वेबसाइट www.upenvis.nic.in के सब–लिंक Policy& Legislation (www.envfor.nic.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन के उपरान्त संगत नियमों जैसे– मोटर वाहन अधिनियम, नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, जैव चिकित्साकीय अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम के प्रवर्तन एवं प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम इत्यादि हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभागों के

अधिकारियों की टीमें गठित करके जांच अभियान चलाए जाएगें तथा उसकी रिपोर्ट जिला योजना के नोडल अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशक, पर्यावरण निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ को भेजी जाएगी।

10– सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0 प्र0/संस्कृति विभाग, उ0प्र0/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित दरों पर स्थानीय सांस्कृतिक दलों के सहयोग से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निम्नांकित पर्यावरण विषयों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे– नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, ड्रामा/नौटंकी इत्यादि का आयोजन कराया जाएगाः–

(1) शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन पर आधारित कार्यक्रम।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कीटनाशक, रसायनिक उर्वरक, प्लास्टिक प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं तालाबों और वृक्षों के महत्व पर आधारित कार्यक्रम।

उपर्युक्तानुसार कार्यक्रमों का अनुमोदन जिलाधिकारी/जिला योजना समिति से प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी जनपद में उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रमों से भिन्न कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसका अनुमोदन निदेशक, पर्यावरण से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफ,समाचार पत्रों की कटिंग, प्रकाशित/वितरित की जाने वाली सामग्री की न्यूनतम पॉच प्रतियॉ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की सूची तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्त में संकलित प्रगति विवरण निदेशक, पर्यावरण को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।